समक्षः श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा, सम्भाग रीवा (म0प्र0)

132

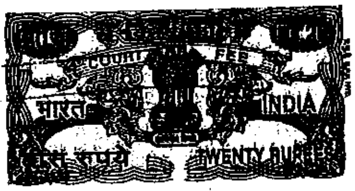

R 5063-II/17

अब्दुल हमीद पिता बक्सीस मो0 उम्र–30 वर्ष, निवासी ग्राम–आमो, पोस्ट–झखरावल, तहसील–देवसर, थाना–जियावन जनपद पंचायत सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म0प्र0) ....**पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक**

बनाम

01 राजपती वैश्य पिता शत्रुधन प्रसाद वैस उम्र–30 वर्ष, पेशा–खेती निवासी ग्राम–आमो पो0–झखरावल तहसील–देवसर, थाना–जियावन जनपद पंचायत देवसर जिला पंचायत, सिंगरौली जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

02 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म0प्र0) ....**उत्तरवादीगण / अनावेदकगण**

अपील पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सिंगरौली जिला–सिंगरौली (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक 1/अपील/2016–17 दिनांक 30.01.2017 बावत् निरस्त किये जाने आलोच्य आदेश।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

पुनरीक्षण के तथ्यः–

01 यह कि आवेदक की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जनपद पंचायत देवसर की अनुशंसा पर अनावेदक क्र0 2 द्वारा दिनांक 22.06.2016 को ग्राम पंचायत आमो मे रोजगार सहायक के रूप में नियुक्ति की गई थी, यह नियुक्ति पात्रता होने तथा पारदर्शिता के आधार पर किया गया था, फिर भी उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 28.06.2016 को अपर कमिश्नर महोदय रीवा के समक्ष की थी, और वह अपील उक्त

क्रमशः...........02

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5063–दो/2017 निगरानी जिला सिंगरोली

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-09-17	यह निगरानी कलेक्टर सिंगरोली के प्रकरण कमांक 1/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–1–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक एंव अनावेदक क–1 के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरोली ने आदेश दिनांक 22–6–16 से आवेदक को रोजगार सहायक के पद पर चयनित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 14–9–16 से इस आधार पर निरस्त की गई कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरोली के आदेश दिनांक 22–6–16 के विरूद्व अपील कलेक्टर को होगी। 3/ तदुपरांत कलेक्टर सिंगरोली के न्यायालय में अपील कमांक 1/16–17 प्रस्तुत की गई जिसमें पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–1–17 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को इस आधार पर क्षमा किया गया, क्योंकि कलेक्टर ने विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने हेतु बताये गये आधार समाधान–कारक पाये हैं। कलेक्टर के इस अंतरिम आदेश दिनांक 30–1–17 के विरूद्व यह निगरानी है। मूल मामला मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरोली के आदेश दिनांक 22–6–16 पर प्रारंभ है एंव कलेक्टर का यह आदेश	

प्र0क0 5063–दो/2017 निगरानी

म0प्र0शासन , पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग,भोपाल व्दारा जारी नीति/निर्देशों के अंतर्गत है जिसके कारण कलेक्टर व्दारा इन नीति/निर्देशों के अंतर्गत जारी आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य